

अनुदान संख्या 3 - पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग
GRANT No.3 - DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	Revenue:			
स्वीकृत- मूल	Voted- Original	1749,60,00		
		1749,63,00	1484,10,32	-265,52,68
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			194,50,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत -	Voted-	11,50,00	6,40,85	-5,09,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat –Economic Services			
मू.	O.	1930.00		
		1848.81	1730.46	-118.35
पु.	R.	-81.19		
मुख्य शीर्ष "2403" पशुपालन	Major Head "2403" Animal Husbandry			
मू.	O.	60422.00		
पू.	S.	3.00	48293.53	42423.90
पु.	R.	-12131.47		-5869.63

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2404" डेरी विकास	Major Head "2404" Dairy Development			
मू.	O. 43080.00	37127.80	36618.51	-509.29
पु.	R. -5952.20			
मुख्य शीर्ष "2405" मत्स्य पालन	Major Head "2405" Fisheries			
मू.	O. 18422.00	18304.26	17735.03	-569.23
पु.	R. - 117.74			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 12042.00
पु.	R. - 12042.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 38264.00	49186.60	49164.42	-22.18
पु.	R. 10922.60			

(I) ₹13867.00 लाख का प्रावधान चौवन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹12822.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹13867.00 lakhs remained wholly unutilised under fifty four heads; of these ₹12822.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2403" - "मांस प्रसंस्करण - मृत पशुओं का उपयोग" - ₹810.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2403" - "Meat Processing-Utilization of Fallen Animals" - ₹810.00 lakhs - due to non-approval of scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552" -

(क) “पशु पालन - गाय और भैंस विकास” -

(i) “गाय और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना”
- ₹1506.00 लाख; और

(ii) “पशु बीमा” - ₹306.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) “पशु गणना” - ₹239.00 लाख; और

(ख) “पशुपालन - पशुचिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य”-

(i) “एवियान इंफ्लुएंजा नियंत्रण और रोकथाम संबंधी तैयारी” - ₹669.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) “पशु रोग नियंत्रण” - ₹956.00 लाख;

(iii) “विद्यमान अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण”
- ₹891.00 लाख;

(iv) “राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिस रूमिनेंट नियंत्रण कार्यक्रम”
- ₹517.00 लाख;

(v) “राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली” - ₹1132.00 लाख;

(ग) “पशुपालन - भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास” - ₹544.00 लाख;

(a) “Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development”-

(i) “National Project on Cattle and Buffalo Breeding”- ₹1506.00 lakhs; and

(ii) “Livestock Insurance” – ₹306.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) “Livestock Census”- ₹239.00 lakhs; and

(b) “Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health”-

(i) “Preparedness Control and Containment of Avian Influenza” - ₹669.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non- receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(ii) “Animal Disease Control” - ₹956.00 lakhs;

(iii) “Strengthening of existing hospital/ dispensaries”- ₹891.00 lakhs;

(iv) “National Control Programme of Peste des Petits Ruminants (PPR)” – ₹517.00 lakhs;

(v) “National Animal Disease Reporting System (NADRS)” – ₹1132.00 lakhs;

(c) “Animal Husbandry - Sheep and Wool Development - Integrated Development of Small Ruminants”- ₹544.00 lakhs;

- (घ) “पशुपालन - चरागाह और चारा विकास - चारा विकास स्कीम” - ₹287.00 लाख;
- (d) “Animal Husbandry - Feed and Fodder Development - Fodder Development Scheme”- ₹287.00 lakhs;
- (ङ) “पशु पालन - कुक्कुट विकास” -
- (e) “Animal Husbandry – Poultry Development” -
- (i) “ग्रामीण पिछला अहाता कुक्कुट विकास” - ₹436.00 लाख;
- (i) “Rural Backyard Poultry Development” - ₹436.00 lakhs;
- (ii) “कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹137.00 लाख;
- (ii) “Poultry Venture Capital Fund” - ₹137.00 lakhs;
- (च) “डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं” -
- (f) “Dairy Development - Dairy Development Projects”-
- (i) “सघन डेरी विकास कार्यक्रम” - ₹320.00 लाख;
- (i) “Intensive Dairy Development Programme”- ₹320.00 lakhs;
- (ii) “गुणवत्तायुक्त और स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण” - ₹275.00 लाख;
- (ii) “Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production” – ₹275.00 lakhs;
- (iii) “सहकारिताओं को सहायता” - ₹108.00 लाख;
- (iii) “Assistance to Cooperatives” - ₹108.00 lakhs;
- (iv) “डेरी उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹418.00 लाख;
- (iv) “Dairy Venture Capital Fund”- ₹418.00 lakhs;
- (छ) “मछली पालन - अंतः स्थलीय मछली पालन - अंतः स्थलीय एक्वाकल्चर और मछली पालन का विकास” - ₹239.00 लाख;
- (g) “Fisheries - Inland Fisheries - Development of Inland Aquaculture and Fisheries”- ₹239.00 lakhs;
- (ज) “मछली पालन - समुद्री मछली पालन - राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मछली पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार” - ₹442.00 लाख;
- (h) “Fisheries - Marine Fisheries - National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension” - ₹442.00 lakhs;
- (झ) “मछली पालन - ज्वार नदमुखीय/खारा पानी मछली पालन - मछली पालन सेक्टर के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण” - ₹131.00 लाख;
- (i) “Fisheries - Estuarine/brackish Water fisheries - Strengthening of Database and Geographical Information System of the Fisheries Sector”- ₹131.00 lakhs;
- (ञ) “मछली पालन - अन्य व्यय - राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड” - ₹1195.00 लाख;
- (j) “Fisheries - Other Expenditure - National Fisheries Development Board” – ₹1195.00 lakhs;
- (ट) “पशुपालन - मांस प्रसंस्करण” -
- (क) “Animal Husbandry-Meat Processing”-

(i) “कटरों का बचाव और पालन पोषण” - ₹359.00 लाख; और

(ii) “ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण” - ₹137.00 लाख।

उपर्युक्त अठारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) “मृत पशुओं का उपयोग” - ₹120.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(क) “पशुपालन - पशुचिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - खाद्य सुरक्षा और प्राप्यता” - ₹248.00 लाख; और

(ख) “पशुपालन - मांस प्रसंस्करण - पशु विस्तार और सुपुर्दगी सेवाएं” - ₹400.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - पशुपालन, डेरी कार्य और मछली पालन विभाग” के अंतर्गत ₹199.54 लाख की बचत (₹1930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2403” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य” -

(i) “Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves”- ₹ 359.00 lakhs; and

(ii) “Establishment/modernization of rural slaughter houses”- ₹ 137.00 lakhs.

Provisions under the above eighteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) “Utilisation of fallen animal”- ₹120.00 lakhs - due to non-receipt of proposal from North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head “3601”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health - Food Safety and traceability”- ₹248.00 lakhs; and

(b) “Animal Husbandry - Meat Processing - Livestock Extension and Delivery Services”-₹400.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of schemes.

(II) Under Major Head “3451” – “Secretariat – Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries” – saving of ₹199.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1930.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head “2403” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Veterinary Services and Animal Health”-

- (क) “पाद एवं मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹5376.02 लाख की बचत (₹8186.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एफएमडी टीका खुराकों की कम पूर्ति होने के कारण हुई।
- (ख) “एवियान इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण और रोकथाम की तैयारी” - ₹4041.67 लाख की बचत (₹4931.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर की खरीद न किए जाने और विदेशों से सहायता प्राप्त स्कीम की लेखा परीक्षा के लिए रखी गई निधि का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली” - ₹3817.44 लाख की बचत (₹7293.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान जारी प्राधिकार पत्र के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “गाय और भैंस विकास - केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म” - ₹287.56 लाख की बचत (₹2734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पशुओं का आयात न किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशु और खरगोशों का एकीकृत विकास” - ₹4791.01 लाख की बचत (₹5598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न निष्पादन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (घ) “सूअर बाड़ा विकास - सूअर बाड़ा विकास सहायता” - ₹114.00 लाख की बचत (₹264.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ङ) “चरागाह और चारा विकास - क्षेत्रीय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र” - ₹252.29 लाख की बचत (₹1464.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान जारी किए गए प्राधिकार पत्र के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Foot and Mouth Diseases Control Programme” - saving of ₹5376.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8186.00 lakhs) was due to short supply of FMD vaccine doses.
- (b) “Preparedness Control and Containment of Avian Influenza” - saving of ₹4041.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4931.00 lakhs) was due to non-purchase of personal protection equipment and non-utilization of funds kept for audit for foreign aided scheme.
- (c) “National Animal Disease Reporting System (NADRS)”- saving was ₹3817.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7293.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by National Informatics Centre against Letter of Authority issued during the year.
- (B) “Cattle and Buffalo Development – Central Cattle Breeding Farms” – saving of ₹287.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2734.00 lakhs) was due to non-import of animals.
- (C) “Sheep and Wool Development - Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits”- saving of ₹4791.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5598.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from different implementing agencies.
- (D) “Piggery Development - Assistance for Piggery Development”- saving of ₹114.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹264.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from NABARD.
- (E) “Feed and Fodder Development - Regional Station for Forage Production and Demonstration”- saving of ₹252.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1464.00 lakhs) was due to non-utilization of funds by Central Public Works Department against Letter of Authority issued during the year.

(चा) “मांस प्रसंस्करण” -

(क) “ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण” - ₹912.67 लाख की बचत (₹933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “कटरों का बचाव और पालन पोषण” - ₹2219.00 लाख की बचत (₹2411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2404” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “दिल्ली दुग्ध योजना” -

(क) “प्रशासन” - ₹333.21 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “अधिप्राप्ति” - ₹6078.16 लाख की बचत (₹30050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “प्रसंस्करण” - ₹504.71 लाख की बचत (₹3821.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “वितरण” - ₹138.74 लाख की बचत (₹1070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत दिल्ली दुग्ध योजना से कम राजस्व प्राप्तियों के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2405” - “समुद्री मछली पालन - तटवर्ती मछली पालन” - ₹2041.56 लाख की बचत (₹4130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए मछली पकड़ने के पोत के प्रतिस्थापन के लिए विशेष पैकेज के संघटक के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(F) “Meat Processing”-

(a) “Establishment/Modernization of rural slaughter houses”- saving of ₹912.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹933.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals owing to late approval of scheme.

(b) “Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves”- saving of ₹2219.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2411.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(IV) Under Major Head “2404”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Delhi Milk Scheme” -

(a) “Administration” - saving of ₹333.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs);

(b) “Procurement” - saving of ₹6078.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30050.00 lakhs);

(c) “Processing” - saving of ₹504.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3821.00 lakhs); and

(d) “Distribution” - saving of ₹138.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1070.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less revenue receipts by Delhi Milk Scheme.

(V) Under Major Head “2405” - “Marine Fisheries - Off-shore Fisheries” - saving of ₹2041.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4130.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals under component of Special Package for replacement of fishing vessels seized by Pakistan.

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशुपालन - गाय और भैंस विकास - पशु गणना” - ₹763.11 लाख की बचत (₹1566.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य”-

(i) “राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिस रूमिनेंट नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹674.24 लाख की बचत (₹3413.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली” - ₹188.00 लाख की बचत (₹320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “पशुपालन - भेड़ और ऊन विकास” -

(i) “संकट वाली पशु जातियों का संरक्षण” - ₹188.70 लाख की बचत (₹266.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) “जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास” - ₹313.90 लाख के बचत (₹656.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹355.74 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes – Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development– Livestock Census” – saving of ₹763.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1566.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” –

(a) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health” -

(i) “National Control Programme of Peste des Petits Ruminants (PPR)”- saving of ₹674.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs 3413.00 lakhs);

(ii) “National Animals Disease Reporting System (NADARS)”- saving of ₹188.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs 320.00 lakhs);

(b) “Animal Husbandry – Sheep and Wool Development” –

(i) “Conservation of Threatened Livestock Breeds”- saving of ₹188.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹266.00 lakhs); and

(ii) “Integrated Development of Small Ruminants”- saving of ₹313.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹656.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(VII) Under five heads savings of ₹355.74 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 21 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹17247.88 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2403” -

(क) “गाय और भैंस विकास - राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना” - ₹530.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹515.42 लाख था।

(ख) “कुक्कुट विकास” -

(i) “ब्याज सहायता के माध्यम से कुक्कुट विकास के लिए सहायता” - ₹1534.00 लाख।

(ii) “कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹1636.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1635.00 लाख था।

(ग) “चरागाह और चारा विकास - चारा फसलों संबंधी मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम” - ₹1500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1499.50 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य”-

(i) “पशु रोग नियंत्रण” - ₹1769.14 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1766.68 लाख था।

(ii) “पाद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹849.00 लाख।

(iii) “वर्तमान अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण” - ₹3798.33 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3797.51 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹17247.88 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and vide annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2403” -

(a) “Cattle and Buffalo Development - National Project for Cattle and Buffalo Breeding”- ₹530.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹515.42 lakhs.

(b) “Poultry Development” -

(i) “Assistance for Poultry Development by way of Interest subvention” - ₹1534.00 lakhs.

(ii) “Poultry Venture Capital Fund” - ₹1636.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1635.00 lakhs.

(c) “Feed and Fodder Development - Minikit Testing Programme on Fodder Crops”- ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1499.50 lakhs.

(B) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-

(a) “Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health”-

(i) “Animal Disease Control” - ₹1769.14 lakhs. Actual excess, however, was ₹1766.68 lakhs.

(ii) “Foot and Mouth Disease Control Programme” - ₹849.00 lakhs.

(iii) “Strengthening of existing hospital/ dispensaries” - ₹3798.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹3797.51 lakhs.

- (ख) “पशुपालन - चरागाह और चारा विकास - चारा विकास स्कीम” - ₹2331.87 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2330.96 लाख था।
- (ग) “मछली पालन - समुद्री मछली पालन” -
- (i) “समुद्री मछली पालन, अवसंरचना और पैदावार के बाद के कार्य का विकास” - ₹1909.00 लाख।
- (ii) “मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण और मछली पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार” - ₹1390.54 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1389.53 लाख था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2403” - “कुक्कुट विकास - केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन” - ₹123.11 लाख का अधिक व्यय (₹1610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं सामग्री, लघु निर्माण कार्य और वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2404” -
- (क) “डेरी विकास परियोजनाएं - डेरी उद्यम पूंजीगत निधि” - ₹418.00 लाख का अधिक व्यय (₹2822.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) “दिल्ली दुग्ध योजना - परिवहन” - ₹135.67 लाख का अधिक व्यय (₹621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीव्र वृद्धि होने की वजह से परिवहन वाहनों के परिचालन और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (गा) मुख्य शीर्ष “2405” -
- (b) “Animal Husbandry - Feed and Fodder Development – Fodder Development Scheme”- ₹2331.87 lakhs. Actual excess, however, was ₹2330.96 lakhs.
- (c) “Fisheries - Marine Fisheries”-
- (i) “Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operation”- ₹1909.00 lakhs.
- (ii) “National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension”- ₹1390.54 lakhs. Actual excess, however, was ₹1389.53 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head “2403” – “Poultry Development – Central Poultry Development Organizations” – excess of ₹123.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1610.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards supply and Material, Minor Works and salaries.
- (B) Major Head “2404” –
- (a) “Dairy Development Projects - Dairy Venture Capital Fund” –excess of ₹ 418.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2822.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.
- (b) “Delhi Milk Scheme - Transport” – excess of ₹135.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 621.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards running and repairing of the transportation vehicles owing to sharp increase in prices of petroleum products.
- (C) Major Head “2405” –

- | | |
|--|---|
| <p>(क) “समुद्री मछली पालन - भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण” - ₹310.10 लाख का अधिक व्यय (₹4009.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने के पोतों को शुष्क गोदी में खड़ा करने और पोतों के अतिरिक्त हिस्से पुर्जों का आयात किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।</p> | <p>(a) “Marine Fisheries - Fisheries Survey of India” – excess of ₹310.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 4009.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for dry docking of fishing vessels and import of spare parts of vessels.</p> |
| <p>(ख) “अन्य व्यय - राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड” - ₹1195.00 लाख का अधिक व्यय (₹8035.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;</p> | <p>(b) “Other Expenditure –National Fisheries Development Board” – excess of ₹1195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 8035.00 lakhs);</p> |
| <p>(घ) मुख्य शीर्ष “3601” -</p> | <p>(D) Major Head “3601” –</p> |
| <p>(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशुपालन - गाय और भैंस का विकास - एकीकृत नमूना सर्वेक्षण” - ₹370.10 लाख का अधिक व्यय (₹529.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और</p> | <p>(a) “Grants for Central Plan Schemes - Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development-Integrated Sample Survey”- excess of ₹370.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹529.00 lakhs); and</p> |
| <p>(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-</p> | <p>(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-</p> |
| <p>(i) “पशुपालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - राष्ट्रीय ब्रूसेल्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹439.51 लाख का अधिक व्यय (₹380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।</p> | <p>(i) “Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health - National Control programme on Brucellosis” - excess of ₹439.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹380.00 lakhs).</p> |
| <p>उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।</p> | |
| <p>(ii) “पशुपालन - कुक्कुट विकास - ग्रामीण पिछला अहाता - कुक्कुट विकास” - ₹391.23 लाख का अधिक व्यय (₹2834.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;</p> | <p>(ii) “Animal Husbandry - Poultry Development – Rural Backyard – Poultry Development”- excess of ₹391.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2834.00 lakhs);</p> |
| <p>(iii) “डैरी विकास - डैरी विकास परियोजनाएं - गुणवत्तायुक्त और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण” - ₹126.07 लाख</p> | <p>(iii) “Dairy Development - Dairy Development Projects - Strengthening Infrastructure for quality and clean Milk production” - excess of ₹126.07 lakhs</p> |

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए स्कीम के संशोधित ईएफसी ज्ञापन को अनुमोदन प्रदान किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to approval of revised EFC memo of the scheme to meet the additional requirement of funds and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹409.18 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक से 52 प्रतिशत तक था।

(III) Under five heads excess of ₹409.18 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 52 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष “4403” पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4403” Capital Outlay on Animal Husbandry	200.00	54.75	-145.25
मुख्य शीर्ष “4405” मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4405” Capital Outlay on Fisheries	850.00	524.89	-325.11

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) मुख्य शीर्ष “4403” - “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवाएं” के अंतर्गत ₹145.25 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो नई संगरोध प्रमाणीकरण इकाइयों के निर्माण के मूर्त रूप न लेने की वजह से अभिकरण विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत पूरी धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “4405” - “विस्तार और प्रशिक्षण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “केंद्रीय मछली पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान” - ₹118.61 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संस्थान के विभिन्न कार्यों का निर्माण किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण” - ₹192.57 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभिकरण विभाग द्वारा अधिकार पत्र के अनुसार पूरी राशि का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “4403” - “Veterinary Services and Animal Health – Animal Quarantine and Certification Services” – saving of ₹145.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-utilisation of full amount by the agent department against Letter of Authority owing to non-materialisation of construction of two new quarantine certification units.

(II) Under Major Head “4405” - “Extension and Training” –savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training” - saving of ₹118.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Public Works Department for construction of various works of the Institute.

(B) “Fishery Survey of India” - saving of ₹192.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-utilization of full amounts by the agent department against Letter of Authority.